

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री अवधेश
कुमार पाण्डेय



पैरोकार उ०नि०
श्री कृष्ण कुमार



पैरोकार हे०का०
राजकुमार सिंह

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्तगणों को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास तथा 24,500 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा बृजेश कुमार सिंह पुत्र रामनरेश सिंह नि० कठौरवा मजरे फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के द्वारा दिनांक 18.05.2021 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर घात लगाकर नियोजित ढंग से समान आशय रखते हुए लाठी-डण्डों व सरिया से मारना पीटना व हमला करना एवं वादी के भाई लल्लन सिंह को गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु०अ०स० 156/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 308, 302, 34, 120बी भादवि एवं 7 सीएल एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-2 रायबरेली द्वारा अभियुक्तगण को **आजीवन सश्रम कारावास तथा 24,500 रु० अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्तगण को **आजीवन सश्रम कारावास**।
- ❑ अभियुक्तगण को **24,500 रुपये अर्थदण्ड**।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:- 1. नरेन्द्र सिंह उर्फ पिक्कू पुत्र बलदेव सिंह, 2. रवीन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह, 3. रोहित सिंह पुत्र भगवानबक्श सिंह निवासीगण कटोरवा मजरे फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी, 4. अमरेश सिंह उर्फ सज्जन सिंह 5. अंकुर सिंह पुत्रगण मानसिंह निवासीगण ग्राम फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी